न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **269/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मुलतानाराम पुत्र हरजीराम विश्नोई निवासी–ग्राम भजन नगर, तहसील लोहावट। 2. भागीरथराम पुत्र हरजीराम 3. राणाराम पुत्र हरजीराम 4. बाबूराम पुत्र हरजीराम जातियान विश्नोई, निवासी– ग्राम नेडा नगर, मूलराज, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।		1. गोपाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी–ग्राम भजन नगर, तहसील लोहावट। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लोहावट जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2018 उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 509/2016 अनवान गोपाराम बनाम मुलताना राम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26 जून, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी का खेत ख0सं0 1630 रकबा 22.15 बीघा, ख0सं0 1631 रकबा 18.13 बीघा, ख0सं0 1632 रकबा 39.08 बीघा भूमि ग्राम भजन नगर में आई हुई है। इन खसरान के दक्षिण पूर्व में ख0सं0 1624 रकबा 38.02 बीघा भूमि हरचन्दराम पुत्र फूलाराम की खातेदारी की है। खातेदार हरचन्दराम लाऔलाद फौत हो गया एवं उसके बडे भाई हरजीराम के वारिसान अप्रार्थीगण एक ता चार है जो अप्रार्थीगण के इन खसरान की भूमि में दखल अंदाजी कर रहे है। इस कारण हमारे खसरान की भूमि में पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण का कोई जवाब लिये ही अपीलाधीन आदेश के जरिये पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। रेस्पोडेन्ट द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। ख0सं0 1630, 1631, 1632 की भूमि की तरमीम भी पूर्व में नहीं की हुई

आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण ख0सं0 1624 के खातेदार है। उक्त भूमि हरचन्दराम पुत्र फूलाराम की खातेदारी की है। खातेदार हरचन्दराम लाऔलाद फौत हो गये। उनके बडे भाई हरजीराम थे जिनका भी देहान्त हो चुका है। जिनके वारिसान अप्रार्थीगण एक ता चार है जो अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करने का अवसर ही नहीं किया गया और कोई सूचना नहीं दी गई जो प्राकृतिक नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस पैमाइश मौका फर्द दिनांक 18.6.2016 के आधार पर आदेश पारित किया है उस पर भी अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा दिनांक 27.02.2018 को अपीलार्थीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद करते हुए और एकतरफा पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। नियमानुसार धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि के खसरान के सभी पक्षकारों की मौजूदगी में निर्विवादित पैमाइश रिपोर्ट आने पर ही धारा 128 के तहत पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जा सकता है। रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र में स्वयं के द्वारा पटवारी हल्का ने मौके पर विवाद की आशंका बताई है, इस कारण अगर कब्जे को लेकर विवाद है तो ऐसी सूरत में पत्थरगढी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है रेस्पो0 संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी का प्रार्थना पेश किया था जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मुकर्रर किया, उनके अधिवक्ता ने बताया कि जब आपकी जरूरत होगी तब आपको बुला लिया जावेगा। काफी समय तक अधिवक्ता द्वारा फोन नहीं किया तब दिनांक 21.6.18 को अपीलार्थीगण द्वारा पत्रावली बाबत जानकारी चाही तब अधिवक्ता ने बताया कि पत्रावली में आदेश पारित कर दिया गया है तब दिनांक 21.6.18 को आदेश की नकल प्राप्त करते हुए जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रकरण में पारित आदेश को निरस्त करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश की जाकर अपीलार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करते हुए पैमाइश/ पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी का खेत ख0सं0 1630 रकबा 22.15 बीघा, ख0सं0 1631 किता ख0सं0 1632 रकबा 39.08 बीघा भूमि ग्राम भजन नगर में आई हुई

है। इन खसरान के दक्षिण पूर्व में ख0सं0 1624 रकबा 38.02 बीघा भूमि हरचन्दराम पुत्र फूलाराम की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण के इन खसरान की भूमि में दखल अंदाजी कर रहे है। इस कारण हमारे खसरान की भूमि में पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थीगण ख0सं0 1624 के खातेदार है जिनकी और से दिनांक 09.01.2017 अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए तत्पश्चात उनकी ओर से दिनांक 27.2.2018 तक जवाब भी पेश नहीं किया गया तब उनका जवाब प्रस्तुत करने अवसर बन्द कर दिया। भूमि की पैमाइश रिपोर्ट पर उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान दिया गया था परन्तु उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होती हो और अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील में भी ऐसे कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त खसरा भूमि की पैमाइश रिपोर्ट में खसरों में किसी प्रकार की ओवरलेपिंग नहीं हुई है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.02.2018 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.8.2016 को प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 9.01.2017 को सम्मन तामील होने पर अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरवी हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। फर्द पैमाइश दिनांक 18.6.2018 की भी कोई आपत्ति दौरान सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं पाई गई है। किसी पडौसी खातेदारी की भूमि पर कब्जा होने या ओवर लेपिंग सम्बन्धी कोई तथ्या पत्रावली पर नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2018 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 जून, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर